भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3952

बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय खुदरा व्यापार और ई-वाणिज्य प्रणाली

3952. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः
श्री कानुमुरू रघु राम कृष्णराजूः
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय खुदरा व्यापार और ई-वाणिज्य प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त प्रणाली शुरू करने में तथ्यों और कठिनाइयों को स्पष्ट करने के लिए खुदरा व्यापारियों के साथ कोई चर्चाएं की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (ग): यह विभाग 'राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति' बना रहा है। फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, पीएचडीसीसीआई तथा अन्य व्यापार और वाणिज्य संघों के जरिए छोटे व्यापारियों की जरूरतों और मांग के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों में स्टेकहोल्डर्स से व्यापक विचार-विमर्श किया गया था।

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने दिनांक 18.02.2019 को उद्योग संघों, निर्यात संगठनों और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कान्फ्रेंस की थी जिसमें देशभर के कुल 42 एनआईसी केंद्रों और 29 अन्य स्थानों से 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

खुदरा व्यापार क्षेत्र के सामने आ रहे मुद्दों और उन्हें सुलझाने के संभावित समाधानों पर विचार करने के लिए सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2019 को स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श भी किया गया था।

जहां तक ई-कॉमर्स का संबंध है, भारत सरकार ने वाणिज्य विभाग में 'ई-कॉमर्स संबंधी राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा' के संबंध में विचारक समूह और कार्य बल का गठन किया है जिसके अंतर्गत डिजिटल अर्थव्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (ई-कॉमर्स) के क्षेत्र में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया। इस विचारक समूह को बाद में विभिन्न उप-समूहों में बांटा गया था, जिसमें तकनीकी स्तर पर सरकार, उद्योग और क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होता है।

राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का एक मसौदा बनाया गया है और इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स (कंपनियां, उद्योग संघ, विचारक समूह, विदेशी सरकार) से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। ई-कॉमर्स से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में उद्योग स्टेकहोल्डर्स, ई-कॉमर्स कंपनियों, किराना दुकान संघों, व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। ऐसी अंतिम बैठक दिनांक 24.06.2019 को आयोजित की गई।

*****